<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 284 / 03</u> <u>संस्थित दिनांक -09 / 06 / 1994</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

 धनसिंह उर्फ धन्नुलाल वल्द चुन्नीलाल उम्र 30 साल, जाति मरार निवासी ग्राम बिरवा थाना व तह0 बैहर,जिला बालाघाट

..... आरोपी

2. मिलन उर्फ मिल्लू वल्द साधू उम्र 29 साल जाति मरार निवासी ग्राम बिरवा थाना व तह0 बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0

..... (पूर्व निर्णीत)

ः:निर्णयः:

<u>[दिनांक 11/01/2017 को घोषित]</u>

- 1. आरोपी के विरूद्ध धारा 394/34 भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 05/04/1994 को रात्रि 10:30 बजे पोगार नाला के पास आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी मैनेजर को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर उसके जेब से 30/—रूपये निकालकर लूट कारित किया था।
- 2. अभियोजन का पक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 05/04/1994 की रात्रि 10:30 बजे घटित घटना के संबंध में प्रार्थी मैनेजर द्व ारा घटनास्थल से 07 कि0मी0 दूर स्थित थाना बैहर में दिनांक 06/04/1994 को 02:20 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह सीमेण्ट फैक्टरी बैहर में हेल्पर का कार्य करता है। दिनांक 05/04/1994 को उसकी ड्यूटी फैक्टरी में दोपहर दो बजे से रात्रि दस बजे तक थी। रात्रि दस बजे ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात वह फैक्टरी में काम करने वाले मंगलिसंह के साथ अपने घर पोंगार आ रहा था। कटंगी की शीतबाबा टोला के पास पहुंचने पर आरोपी धन्नु मरार व मिलन लाठी लेकर खड़े हुये थे। आरोपी धन्नु ने उससे पैसे मांगा था। उसके द्वारा मना करने पर आरोपीगण ने उसे पकड़ लिया और आरोपी धन्नु ने लाठी से बाये बक्खा, दायीं पसली पर मारा था।

आरोपी मिलन ने लाठी से दाये हाथ और पैर पर मारा था। वह गिर गया था, उसकी जेब में रखे 10—10 रूपये के तीन नोट कुल 30/—रूपये निकालकर छीन लिये थे। मंगलसिंह ने बीच बचाव करना चाहा तो उसे पीठ में लाठी से मारकर भगा दिये। उक्त आधार पर थाना बैहर में अपराध कमांक 71/94 कायम किया जाकर विवेचना की गई। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में आरोपी मिलन उर्फ मिल्लू पूर्व से निर्णीत है। आरोपी धनसिंह उर्फ धन्नुलाल ने कंडिका 01 में लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया है, उसने अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में स्वयं को निर्दोष व झूठा फसाया जाना बतलाया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं है।

04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है:--

01. क्या आरोपी धनसिंह उर्फ धन्नुलाल ने दिनांक— 05/04/1994 को समय करीब रात्रि 10:30 बजे अंतर्गत पोंगार नाला के पास थाना बैहर अन्य सह अभियुक्त मिलन के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत/प्रार्थी मैनेजर को लाठी से मारपीट कर स्वच्छया उपहति कारित कर उसकी जेब से 30/—रूपये निकालकर लूट कारित किया।

// निष्कर्ष के आधार //

परिवादी मैनेजर(अ०सा02) का कथन है कि वह आरोपी धन्नुलाल 05. को पहचानता है। घटना कथन के करीब तीन साल पहले होली खत्म होने के बाद 5 तारीख की है। रात्रि करीब 10 बजे वह अमरसिंह, मंगल, जगदीश फैक्ट्री में ड्यूटी करने के बाद वापस आ रहे थे। जगदीश, मूलचंद और अमरसिंह बिरवा के लिये चले गये थे तथा मंगलसिहं और वह पोंगार के लिये जा रहे थे। रास्ते में उपस्थित आरोपी मिलन एवं धन्नुलाल ने दोनों को रास्ते में रोक लिया और बोले ड्यूटी से आ रहे हो तो पैसे निकालो। उसकी पेण्ट के पीछे की जेब से 30 / - रूपये धन्नू और मिल्लू ने निकाल लिये और उसके द्व ारा क्यों गरीब आदमी को लूटते हो कहने पर दोनों ने लाठी से मारपीट कर उसे सुला दिया। सुलाने के बाद मर जायेगा ऐसा कहकर भाग गये थे। आरोपीगण के जाने के पंद्रह मिनिट के बाद मंगल आया तो मंगल ने उसे साजा झाड़ के पास सुला दिया था जिसके बाद मंगलिसंह ने उसके घर पर जाकर बताया तो बस्तीवाले दौड़कर आये। बस्तीवालों ने आकर पानी पिलाया और बैहर लेकर गये। बैहर में रिपोर्ट प्र.पी02 की थी जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसका डाक्टरी मुलाहिजा के साथ एक्सरा भी हुआ था। उसके सिर व पसली के दाहिने तरफ व घुटने में बायी तरफ चोट आयी थी व

पीठ में खूटा से मारने से निशान बन गया था। बैहर थाना में पुलिस वालों ने सफेद रंग की शर्ट जिसमें खून लगा था जप्त किया था जप्ती पत्रक प्र.पी03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर मंगल भी मौजूद था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी02 से साक्षी के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रतिपरीक्षण में मूल घटना के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं हैं जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मंगलिसंह (अ०सा०1) का कथन है 06. कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व ड्यूटी के बाद प्रार्थी मनेजर और तीन साथियों के साथ रात्रि करीब 10 बजे वह घर वापस आ रहा था। कटंगी के आगे उसकी साईकिल की चैन निकल रही थी जिससे वह थोड़ा पीछे था। मेनेजर, मूलचंद तथा अन्य लोग आगे थे। तीन आदमी बिरवा की तरफ चल दिये थे। मैनेजरको दो लोग मारपीट कर रहे थे, मौके पर वह पहुंचा तो उसे भी लाठी से मारपीट किये। उसके बाद उसने घर जाकर मैनेजरके घर वालों को बतलाया था। घटना के दूसरे दिन उसके पुलिस बयान हुये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने प्र.पी 01 के अ से अ भाग का बयान नहीं देना बताया। उक्त साक्षी घटना का प्रत्य क्षदर्शी साक्षी है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी02 के अनुसार मूल घटना का समर्थन किया है। यद्यपि उक्त साक्षी ने आरोपी को पहचानने से इंकर किया है। तथापि हरीकिशन (अ०सा०४) के अनुसार उसे मंगलसिंह ने बताया था कि धन्नु और मिल्लू ने मैनेजरको मारकर सुला दिया है जिससे अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है। डां. आर.के. चतुर्वेदी (अ०सा०७) की साक्ष्य से भी परिवादी मैनेजरके कथनो की पुष्टि होती है।

07. डां. आर.के. चतुर्वेदी (अ०सा०७) द्वारा प्रार्थी मैनेजर का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। जिसने बतलाया है कि दिनांक 06/04/1994 को दिन के 02:30 बजे प्रार्थी मैनेजर को आरक्षक परमसिंह कमांक 68 थाना बैहर द्वारा मुलाहिजा हेतु लाया गया था। मुलाहिजा के दौरान आहत को चोट कमांक 01 सिर के बाई पैरायटल पर एक फटा हुआ घाव, आधा इंच गुणा आधा इंच, चमड़ी तक गहरा, चोट कमांक 02 दये सीने के स्केपला के नीचे वाले भाग में एक मुंदी हुई सीने के बाई ओर 11 पसली के पास आधा इंच गुणा आधा इंच आकार की, चोट कमांक 04 दाई जांघ के उपर बीचों बीच बाहरी ओर एक मुंदी हुई चोट। एक इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल नीले रंग की चोट कमांक 05 दाहिने घुटने के सामने की ओर एक मुंदी हुई चोट एक इंच गुणा आधा इंच लाल नीले रंग की, चोट कमांक 06 दाये पुट्टे पर एक मुंदी हुई चोट आधा इंच गुणा आधा इंच लाल नीले रंग की व चोट कमांक 08 बायें फोर आर्था इचं गुणा आधा इंच लाल नीले रंग की व चोट कमांक 08 बायें फोर आर्था एर नीचे की तरफ एक मुंदी हुई चोट आधा

इंच गुणा आधा इंच लाल नीले रंग की पाया था। चोट क्रमांक 01, 03, 05 के लिए एक्सरे के लिए सलाह दिया था उक्त चोटें किसी बोथरे व सक्त औजार से पहुंचाई गई थी और मुलाहिजा के चार से छः घण्टे के भीतर की थी। साक्षी ने दी गयी जांच रिपोर्ट प्र.पी12 को प्रमाणित किया है, आगे यह भी बतलाया है कि एक्सरे रिपोर्ट में आहत के कोई बोन इंजूरी नहीं पायी गयी थी। आहत 6 से 9 तारीख तक भर्ती रहा था और सामान्य स्थिति पाये जाने पर छुट्टी की गयी थी बेड टिकिट प्र.पी13 है जिसे साक्षी ने प्रमाणित किया है।

- 08. डां. एन.एस.कुमरे (अ०सा०६) के कथनों से भी अभियोजन कहानी को बल मिलता है। जिसके अनुसार दिनांक 06.04.1994 को उसके द्वारा मंगलिसंह का मुलाहिजा करने पर बायें हाथ के बीच की अंगुली में लेसीरेटेड वुंड तथा स्केपला बोन के पीछे वाले भाग पर एब्रेजन पाया था। साक्षी के अनुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की होकर ठोस एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी। मुलाहिजा प्र.पी10 उसके द्वारा लेख किया गया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के कथनों से घटना के समय मंगलिसंह को चोट अना प्रमाणित है जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी02 तथा मंगलिसंह (अ०सा०1) के कथनों में भी है।
- 9. मेमोरेण्डम तथा जप्ती साक्षी अनिल (अ०सा०३) पक्षद्रोही रहा हैं, जिसने मेमोरेण्डम प्र.पी०४ तथा जप्ती पत्रक प्र.पी०६ के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी के अनुसार पुलिसवालों ने उसके सामने तीन—चार लाठी जप्त की थी जिसके संबंध में जप्ती पत्रक पर उसने हस्ताक्षर किया था। लाठी किस से जप्त की थी उसे नहीं मालुम। आरोपीगण ने उसके सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया था।
- 10. हरिकिशन (अ०सा०४) का कथन है कि उसके सामने मैनेजर के कपड़े शर्ट तथा फुलपेंट जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्र.पी०३ के ब से ब तथा प्र.पी०८ के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती साक्षी गुहदड़िसंह (अ०सा०५) पक्षद्रोही रहा है जिसने जप्ती पत्रक प्र.पी०९ के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार कर उसके सामने बैड टिकिट जप्त नहीं करना व्यक्त किया है।
- 11. रामप्रसाद (अ०सा०८) का कथन है कि वर्ष 1994 में वह हल्का नम्बर 18 के पटवारी के पद पर पदस्थ था तथा मौकानक्शा प्र.पी14 उसके द्व ारा बैहर तहसीलदार के आदेशानुसार तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उसे हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने मौकानक्शा प्र.पी14 पुलिस के बताये अनुसार थाने में बैठकर तैयार करने से स्पष्ट इंकार किया है।
- 12. विवेचक राजशे चौधरी (अ०सा०११) का कथन है कि वह दिनांक 05.04.1994 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रार्थी मैनेजरद्वारा थाना में अपराध क्रमांक 71/94 धारा 394 भा.दं.सं. का

अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा मैनेजरके कथन प्र.पी15 दिनांक 06.04.1994 को लेखबद्ध किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 28.05.1994 को आरोपी धनसिंह उर्फ धन्नूलाल को गवाह देवेन्द्र व अनिल के समक्ष गिरफतारी पत्रक प्र.पी16 के अनुसार गिरफतार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती मेमोरेण्डम का साक्षी अनिल (अ०सा०३) पक्षद्रोही रहा है तथा उसने उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है एवं विवेचक राजेश चौधरी (अ०सा०११) ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी धनसिंह उर्फ धन्नुलाल के मेमोरेण्डम कथन प्र. पी04. जप्ती पत्रक प्र.पी06 एवं प्र.पी08 के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तथापि प्रतिपरीक्षण में साक्षी से उक्त संबंध में प्रश्न किया गया है जिस संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्ड़नीय है। घटना के आहत मैनेजर(अ०सा02) के कथन ध ाटना के संबंध में अखण्डनीय रहे हैं जिसकी पुष्टि अन्य साक्षी से भी हुई है तथा उक्त साक्षी ने आरोपी द्वारा ही घटना करने के कथन किये हैं। इसलिए मात्र अभियोजन की उक्त साक्ष्य के परीक्षण में हुई चुक का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उक्त त्रुटि के कारण अभियुक्त के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव दर्शित नहीं है। अभियोजन ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि पूर्व रंजिश वश परिवादी अथवा पुलिस द्वारा उसे झुटा फसाया गया हो। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के परिपेक्ष्य में आरोपी धन्नुलाल के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 394/34 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मैनेजर को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर उससे लूट कारित की। परिणामतः आरोपी धारा 394 / 34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

13. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय स्थिगित किया गया।

> मेरे निर्देशन में टंकित एवं खुले न्यायालय में घोषित

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर बालाघाट म0प्र0

14. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि वह प्रथम अपराधी हैं प्रकरण करीब बाईस वर्ष पुराना है। वह पेशियों में उपस्थित होता रहा है। उसकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। अतः उसके विरूद्ध नर्म रूख किया जावे। तर्को पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध

किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है लेकिन उसने जिस तरह का गंभीर अपराध किया है उसे देखते हुए अभियुक्त को या उसके अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरूद्ध नर्मरूख लिया जाना उचित नहीं होगा। परंतु यह तथ्य भी उचित है कि प्रकरण अत्यधिक पुराना है जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है, फलतः प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे एक उचित दण्ड देना उचित होगा।

- 15. अतः अभियुक्त धनसिंह उर्फ धन्नुलाल पिता चुन्नीलाल को धारा 394/34 भा0द0सं0 में दोषी पाकर उसे छः माह के सश्रम कारावास और 1000/—(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 16. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं0प्र0सं0 के तहत परिवादी मैनेजर को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 17. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में रहा हैं। उक्त अवधि मूल कारावास के अवधि में समायोजित की जावे। इस के बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।
- 18. मामले में जप्तशुदा संपत्ति दो लाठी, सफेद शर्ट एवं खून आलूदा मिट्टी, एक बेडहेड टिकिट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावे अथवा अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 20. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं०प्र0सं० के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)